

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 334

पटना, दिनांक- 21.5.2026

आदेश

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक State Water Resources Reform Framework (SWRRF) विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में जल क्षेत्र के अंतर्गत संस्थागत सुधारों और शासन पद्धतियों के लिए मानक तय करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना है।


2. प्रस्तावित Framework का उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना, सतत और सहभागी जल प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, तथा नीति और विनियमन, परियोजना निगरानी, डिजिटलीकरण और अनुसंधान एवं विकास (R&D), आधारभूत संरचना, एवं आयात-निर्यात कोड (IEC) व सामुदायिक जुड़ाव जैसे प्रमुख आयामों में सुधार की तत्परता का आकलन करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र तैयार करना है।

3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक व्यवस्थित परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह Framework व्यावहारिक, लागू करने योग्य और जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप हो। इस परामर्श प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रस्ताविक संकेतकों की व्यवहार्यता और व्यावहारिकता का आकलन करना, डेटा की उपलब्धता, रिपोर्टिंग प्रारूपों और संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करना, स्कोरिंग पद्धति और weighting structure को मान्य करना एवं राज्यों के बीच सर्वसम्मति का निर्माण और framework का स्वामित्व स्थापित करना है।

4. इस परामर्श प्रक्रिया (Consultation Process) हेतु निम्नलिखित विभाग के पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए तकनीकी टीम का गठन किया जाता है:-

- | | | |
|--|---|----------------------|
| (i) अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार | - | अध्यक्ष |
| (ii) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4, जल संसाधन विभाग, बिहार | - | सदस्य सचिव |
| (iii) नीतिगत मामले के सलाहकार, जल संसाधन विभाग, बिहार | - | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (iv) लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रतिनिधि (अधीक्षण अभियंता से अन्यून)- | - | सदस्य |
| (v) कृषि विभाग, बिहार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) | - | सदस्य |
| (vi) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) | - | सदस्य |
| (vii) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के प्रतिनिधि (अधीक्षण अभियंता से अन्यून) | - | सदस्य |
| (viii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के प्रतिनिधि (अधीक्षण अभियंता से अन्यून) | - | सदस्य |
| (ix) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) | - | सदस्य |


6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-यो०मो०-4 (विविध)-07-520/2026- 334

पटना, दिनांक:- 21.5.2026


प्रतिलिपि:-सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को उनके पत्रांक-D.O. No. L-54012/1/2025- Planning Unit दिनांक-18.02.2026 के प्रसंग में, सूचनार्थ प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-यो०मो०-4 (विविध)-07-520/2026- 334

पटना, दिनांक:- 21.5.2026


प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-यो०मो०-4 (विविध)-07-520/2026- 334

पटना, दिनांक:- 21.5.2026


प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, कृषि विभाग, बिहार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-यो०मो०-4 (विविध)-07-520/2026- 334

पटना, दिनांक:- 21.5.2026


प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक-1/PMC/VIVID/179/2024-279 दिनांक-06.04.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-यो०मो०-4 (विविध)-07-520/2026- 334

पटना, दिनांक:- 21.5.2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभि०)